बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.-............................../
03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना-03/15

पटना, दिनांकः-..............................

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वाराः- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

अनौपचारिक रूप से पृष्ठांकित

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 अन्तर्गत उद्योग मित्र योजना के लिये अनुमानित व्यय कुल ₹110.00 (एक करोड़ दस लाख) मात्र की सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3515, पटना, दिनांक-01.09.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में उद्योग मित्र योजना के लिये अनुमानित व्यय कुल ₹110.00 (एक करोड़ दस लाख) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप किया जायेगा।

3. उद्योग मित्र द्वारा उद्योग स्थापना के प्रारंभिक अवस्था से उत्पादन स्तर तक में उद्योग का चयन, चयनित उद्योग की अद्यतन परियोजना की रूप-रेखा, आवश्यक फॉर्म, संबंधित ऑकड़े/सूचनाओं से उद्यमियों को लाभान्वित किया जाता है। औद्योगिक विकास हेतु सेमिनार तथा औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में बुलेटिन/पुस्तकों का प्रकाशन कर उद्यमियों, राज्य के योजनाकारों, अन्वेषणकर्त्ताओं को मदद की जाती है।

4. राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योग मित्र के सुदृढ़िकरण का निदेश दिया गया। इस क्रम में उद्योग मित्र द्वारा भारत सरकार के कलस्टर विकास योजनांतर्गत Soft Intervention (यथा DSR बनाना, DPR बनाना, प्रशिक्षण देना इत्यादि) एवं Hard intervention (सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना इत्यादि) का कार्य तथा राज्य में आने वाले सभी निवेशकों/उद्यमियों को हर प्रकार का Hand Holding Support जैसे औद्योगिक आँकड़े उपलब्ध कराना, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना, औद्योगिक प्रोत्साहन पर्षद द्वारा पारित निवेश प्रस्तावों को संबंधित विभागों/एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर विभिन्न तरह के NOC/Clearances उपलब्ध कराने, मेक इन इंडिया के अन्तर्गत उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने हेतु गठित Investment Facilitation Cell को संचालित करना SIPB द्वारा पारित प्रस्तावों के संबंध में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना इत्यादि कार्य करना है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आयोजित मेला, प्रदर्शनी, सेमीनार एवं रोड शो के सफल आयोजन में उद्योग मित्र की अहम भूमिका है।

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) के तहत आवेदन का ऑन-लाइन फाईलिंग एवं ऑन-लाइन ट्रैकिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

6. प्रस्तावित राशि का व्यय बजट शीर्ष : मुख्य शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0106-उद्योग मित्र, विपत्र कोड P2851001020106, विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में ₹85.00 लाख (पचासी लाख) मात्र एवं 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में ₹25.00 लाख (पचीस लाख) मात्र विकलित होगा। जिसके लिये चालू वित्तिय वर्ष-2016-17 में यथेष्ठ बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास

क्रमशः पृष्ट-02 पर...

भवन, पटना से कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनाक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ, पटना की होगी।

9. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

10. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति **संचिका सं0**–*03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**27/टि0** पर दिनांक–**13.05.2016** को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–768/**IDC** दिनांक–12.05.2016 है।

12. यह राज्यादेश **संचिका सं0**–*03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**31**/टि० पर दिनांक–25.05.16 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जिसका डायरी सं0–118/**OSD** दिनांक–20.05.16 है।

13. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../
03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../
03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2122 /
03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना, दिनांक 6.6.16

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उद्योग मित्र योजना की मदवार अनुमानित व्यय विवरणीः–		
क्र०सं०	विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन	राशि
1	मूल वेतन	67,40,000=00
2	अंशदान भविष्य निधि	11,10,000=00
3	सामूहिक भविष्य निधि	06,50,000=00
	योग :– (क्रमांक 1–3 तक)	**₹ 85,00,000=00**
क्र०सं०	**विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा**	राशि
4	भवन किराया, महसूल कर एवं रख–रखाव	03,00,000=00
5	विद्युत प्रभार	04,10,000=00
6	वाहन चालन	03,84,000=00
7	दूरभाष एवं इन्टरनेट	80,000=00
8	कार्यालय व्यय	01,20,000=00
9	पुस्तकालय	10,000=00
10	वर्दी	15,000=00
11	यात्रा व्यय	01,40,000=00
12	कम्प्यूटर/फोटो कॉपियर/फैक्स/प्रिन्टर/उद्योग मित्र के वेव–साईट का रख रखाव	01,91,000=00
13	सेमिनार एवं मेला	02,00,000=00
14	प्रकाशन	01,50,000=00
15	38 जिला उद्योग केन्द्रों पर Internet होने वाला व्यय	03,60,000=00
16	Empanelled विशेषज्ञों का शुल्क	01,40,000=00
	योग :– (क्रमांक 4–16 तक)	**₹ 25,00,000=00**
	कुल योगः–(क्रमांक 1–16 तक)	**₹ 1,10,00,000=00**

(एक करोड़ दस लाख) मात्र।

6/10/16

(एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_super_Dharmendra sir_\Sanction Order\2015-16-------59